कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

Ph. No. 05966-220679
Fax No. 05966-220679
E-mail – eepdrani@yahoo.com

पत्रांक 2999 /36सी दिनांक रानीखेत 28/07/ ,2023.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में बिल्लेख से अंबेडकर ग्राम गैरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.68 है0 वन भूमि गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन **(Online no. FP/UK/ROAD/150404/2021)**।

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक 544/12–1(2) दिनांक 14.07.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–MLA9/लो.नि.–01/2001–6(पी.डब्लू.डी.)/2001 दिनांक 29.10.2001 द्वारा हल्का वाहन मार्ग जिसकी चौड़ाई 4.25 भी निर्धारित थी, न बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त शासनादेश द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में मार्ग की चौड़ाई को कम कर प्रस्ताव में संशोधन किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न :– सम्बन्धित शासनादेश की छायाप्रति।

(इं. ओंकार पाण्डेय)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

पत्रांक 2999 /36सी. तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता(प्रथम), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत



Scanned with OKEN Scanner

संख्या:/लो0नि0-1/2001-61(पी0डब्लू0)/2001

प्रेषक,

कुन्दन सिंह,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता, स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून(उत्तरांचल) ।

देहरादून:: दिनांक: 29 अक्टूबर/2001.

लो0नि0 अनुभाग-1.

विषय:- लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल द्वारा भविष्य में हल्का वाहन मार्ग न बनाये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा उत्तरांचल में विगत कई वर्षों से हल्के वाहन मार्गों का निर्माण किया जा रहा है । इन हल्का वाहन मार्गों की वर्तमान चौड़ाई 4.25मीटर निर्धारित है तथा इनका उपयोग छोटे वाहनों के लिए ही होता है । हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित किये जाने में चौड़ाइयों में अंतर होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । जहाँ तक वित्तीय अपव्यय का प्रश्न है, हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित किये जाने पर होने वाला व्यय मोटर मार्ग के निर्माण करने से अधिक होता है । इस प्रकार हल्का वाहन मार्ग निर्माण से प्रदेश सरकार पर अतिरिक्त व्ययभार भी पड़ता है, क्योंकि कभी न कभी हल्का वाहन मार्गों को मोटर मार्गों में परिवर्तित करना पड़ता है ।

2- पुनश्च रोड कांग्रेस की ग्रामीण मार्गों के निर्माण की संस्तुतियों के लिए निर्मित आई०आर०सी० कोड में हल्के वाहन मार्ग निर्माण का कोई प्राविधान नहीं है, बल्कि ग्रामीण मार्गों के लिए न्यूनतम चौड़ाई 5.20मीटर प्रस्तावित है ।

3- हल्का वाहन मार्गों पर वर्षा ऋतु में [illegible] बोल्डर आ जाने से मार्ग क्षतिग्रस्त/अवरुद्ध हो जाते हैं और मार्ग यातायात हेतु बन्द हो जाता है । इन मार्गों के अनुरक्षण पर [illegible] होने के कारण [illegible] रहती है और इनके [illegible] मार्ग के निर्माण का [illegible]

--2

-2-

आवश्यक प्रतीत हो जाता है। मोटर मार्ग के निर्माण की चौड़ाई 5.75 मीटर निर्धारित है। अतः यदि हल्का वाहन मार्ग मोटर मार्ग निर्माण में 0.75 मीटर अतिरिक्त चौड़ा करना, इसी अनुपात में प्रत्येक स्थान की चौड़ाई अतिरिक्त रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है। इनका कार्य भी फिलिंग कटिंग/ब्रेस्टवाल, नाली, पैरापिट, पुलिया, कलवर्ट आदि मदों में समान रूप से लगाये जाने के अलावा कुछ अतिरिक्त भूमि अध्याप्ति भी करनी पड़ती है।

4- अतः उक्त समस्त कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए हल्का वाहन मार्गों के निर्माण की व्यावहारिक उपयोगिता नहीं रह पाती है। साथ ही शासन पर अनावश्यक वित्तीय भार भी आता है। अतः भविष्य में हल्का वाहन मार्गों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान न किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त जो हल्का वाहन मार्ग पूर्व में स्वीकृत हैं, अथवा कार्य प्रारम्भ न किये गये हों अपितु उन्हें मोटर मार्गों में परिवर्तित करने के लिए आगणन प्रस्तुत किये जायें। जो हल्का वाहन मार्ग निर्माणाधीन हैं, ऐसे मार्गों को स्वीकृति सीमा तक ही पूर्ण कर लिया जाए तथा भविष्य में प्रदेश के समस्त हल्का वाहन मार्गों को चरणबद्ध रूप में जिला योजना, राज्य योजना अथवा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मोटर मार्गों में परिवर्तित करने की कार्यवाही की जाए।

भवदीय,

( इन्द्र सिंह )
अपर सचिव।

संख्या MLA-109 (1)/लो0नि0-1/2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल शासन।
2- निजी सचिव, मुख्यसचिव, उत्तरांचल शासन।
3- सचिव/उप सचिव/अनु सचिव लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल
4- सचिव, नियोजन, उत्तरांचल शासन।
5- आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
6- मुख्य अभियंता, लो0नि0वि0 पौड़ी/अल्मोड़ा।
7- प्रमुख अधीक्षण अभियंता, लो0नि0वि0, उत्तरांचल द्वारा मुख्य अभियंता स्तर-1, देहरादून।
8- प्रधान अभि0/अभि0, लो0नि0वि0, उत्तरांचल, द्वारा, मुख्य अभि0 स्तर-1, देहरादून।

---3

Scanned with OKEN Scanner

9- वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।

10- लोक निर्माण अनुभाग-1 एवं 2

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( [illegible] )
अनु सचिव।